

Declaration

I, Prakash Agarwal Son of Shri Mahaveer Prasad Agarwal aged 37 years R/o 8/294, Sector-08, Vidhyadhar Nagar, Jaipur (Raj.) hereby solemnly declare as under that:

1. Fire NOC will be applied at the time of completion of the project as per the direction issued by the UDH, Government of Rajasthan.
2. Environmental NOC is not applicable on the project.
3. Regarding Airport NOC, the direction is issued by the Airport Authority of India to the Jaipur Development Authority (JDA) wherein the joining code map is given mentioning the Zone wise areas of building heights. As per the direction issued by Airport Authority of India, the JDA will finalize the building height thus there it is not required to take NOC from Airport Authority of India.

For Manglam Build-Developers Limited

For Manglam Build Developers Limited



Authorised Signatory

(Authorised Signatory)

Manglam Build-Developers Ltd.

6th Floor, Apex Mall, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)
Ph.: 0141-4311100, Fax : 0141-4036320, CIN : U45201RJ2008PLC026256
E-mail : info@manglamgroup.com, www.manglamgroup.com

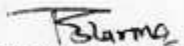


शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग

मैं राजेश शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि० पंजीकृत कार्यालय 6th फ्लोर, अपेक्स मॉल, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर सशपथ पूर्वक निम्न अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथग्रहिता के व्यवसायिक पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-1 व सी-2 क्षेत्रफल 6568.46 वर्गगज औद्योगिक योजना मंगलम इण्डस्ट्रीयल सिटी ग्राम जैतपुरा व चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आवासीय भवन के भवन मानचित्र नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.03.2017 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वास्तुकार मैसर्स आईडियाज श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत के द्वारा नियमानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3ए के अन्तर्गत अनुमोदन किये गये है।
2. यह कि राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.4.2017, 22.6.2017 व 27.6.2017 तथा बीपीसी बीपी दिनांक 30.6.2017 के नीतिगत निर्णय के निर्देशानुसार प्रार्थी प्रस्तावित भवन में अग्निशमन संबंधी नियमानुसार आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने के लिए शपथग्रहिता यह अण्डरटेकिंग/शपथपत्र प्रस्तुत करता है।
3. यह कि राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.4.2017, 22.6.2017 व 27.6.2017 तथा बीपीसी बीपी दिनांक 30.6.2017 के नीतिगत निर्णय के निर्देशानुसार प्रार्थी प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य का लेबर सेस राशि लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए शपथग्रहिता यह अण्डरटेकिंग/ शपथपत्र प्रस्तुत करता है।
4. यह कि प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथग्रहिता बाध्य रहेगा।

सत्यापन


हस्ताक्षर शपथ गृहिता

मैं राजेश शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि० उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 4 मेरी निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है, इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है एवं ईश्वर मेरी मदद करें।


सत्यापितकर्ता